परीक्षा समिति की सामान्य बैठक सं0 03/2021 दिनांक 10.06.2021 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 10.06.2021, दिन गुरुवार को मध्याह्न 12:00 बजे सेन्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1. प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। — अध्यक्ष
2. प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर। — सदस्य
3. प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। — सदस्य
4. प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर। — सदस्य
5. प्रो0 अंशु यादव, आचार्य, आई.बी.एम. विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। — सदस्या
6. डा0 सिद्धार्थ कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि0वि0, कानपुर। — सदस्य
7. डा0 महेश प्रसाद यादव, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर, इटावा — सदस्य
8. डा0 आशा रानी पाण्डेय, संस्कृत विभाग, डी0जी0 कालेज, कानपुर — सदस्या
9. डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। — सदस्य
10. डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। — सदस्य
11. श्रीमती साधना श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर। — विशेष आमंत्रित सदस्य
12. श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, लेखाधिकारी, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर। — विशेष आमंत्रित सदस्य
13. डा0 दीपक वर्मा, प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर। — विशेष आमंत्रित सदस्य
14. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक कुलसचिव(सिस्टम), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। — विशेष आमंत्रित सदस्य
15. श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। — विशेष आमंत्रित सदस्य
16. डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। — पदेन सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :–

मद सं0–1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16–03–2021 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति की पूर्व में सम्पन्न हुयी सामान्य बैठक दिनांक 16–03–2021 की कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के साथ उक्त बैठक की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में सम्बन्धित विभाग से प्रगति आख्या प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

10·6·2021

Scanned with CamScanner

मद सं0–2 **मुख्य परीक्षा–2021 एवं आगामी अन्य परीक्षाएँ(MCQ Pattern) बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र आधारित प्रणाली(O.M.R. Based) के माध्यम से प्रत्येक विषय में एकल प्रश्नपत्र की व्यवस्था के आधार पर कराये जाने पर विचार। –**

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन(उच्च शिक्षा अनुभाग–3) के पत्र सं0–1200/सत्तर–3–2021–08(20)/2020, दिनांक–08 जून, 2021 एवं तद्क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्रांक–236/रा0उ0शि0प0/53/19 दिनांक 09 जून, 2021 के अनुक्रम में मुख्य परीक्षा–2021 के स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रमों की सभी विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ (MCQ Pattern)बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र आधारित प्रणाली के अनुसार कराये जाने की योजना सुनिश्चित की गयी है। कोविड–19 के कारण मुख्य परीक्षाओं को कम दिनों में सम्पन्न कराया जाना है, अतः उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार मुख्य परीक्षाएँ कुल 17 दिवसों में सम्पन्न हो जायेंगी। सभी प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रणाली एवं **O.M.R. Based** होने के कारण कम समय में उत्तर पत्रकों को मूल्यांकित कराते हुए शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकेगा, जिससे आगामी सत्र को नियमित किया जा सके।

वर्ष–2021 की परीक्षाएँ (MCQ Pattern)बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र **O.M.R. Based** कराये जाने के निर्णय पर समिति की बैठक में उपस्थित कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ(KUTA) के पदाधिकारियों द्वारा असहमति व्यक्त की गयी, परन्तु समिति के अन्य सभी सदस्यों द्वारा उक्त निर्णय पर सहमति व्यक्त की गयी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2021 एवं आगामी अन्य समस्त सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ(मेडिकल परीक्षाओं को छोड़कर) को (MCQ Pattern)बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र आधारित प्रणाली के माध्यम से निम्न व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया –

(क) प्रत्येक विषय में यथासम्भव एकल प्रश्नपत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
(ख) शासन के निर्देशानुसार सभी प्रश्नपत्रों का समय अधिकतम 1.30 घण्टे रखा जाय।
(ग) विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएँ दिनांक 16 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ कराये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए तत्सम्बन्धी परीक्षा कार्यक्रम को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
(घ) दिनांक 25 अगस्त, 2021 तक सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाय।
(ड़.) भविष्य में प्रश्नपत्रों के माडरेशन(Moderation) की व्यवस्था लागू की जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–3 **भविष्य में होने वाली लिखित/प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा में योजित किए जाने वाले परीक्षकों के यात्रा–भत्ता सम्बन्धी भुगतान देयक का किलोमीटर के अनुसार भुगतान किए जाने पर विचार –**

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था में लिखित/प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा में योजित किए जाने वाले परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन/प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा में परीक्षक नियुक्त किए जाने पर स्थानीय भत्ता(कानपुर शहर) रु0 100/– प्रतिदिन के अनुसार भुगतान किया जाता है तथा वाह्य

Scanned with CamScanner

शिक्षकों को एक बार में मूल्यांकन/प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा हेतु मुख्यालय से महाविद्यालय जाने अथवा विश्वविद्यालय तक आने एवं जाने का बस अथवा ट्रेन से पद एवं वेतनमान के अनुसार अनुमन्य वास्तविक किराया देय होता है तथा स्थानीय मार्ग व्यय(मुख्यालय से बाहर होने पर) रु0 10/– प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाता है। उक्त व्यवहृत व्यवस्था में अनेकों विसंगतियॉ होने के कारण परीक्षकों के भुगतान समयान्तर्गत सम्भव नहीं हो पाते हैं।

संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधोलिखित तालिका के अनुसार परीक्षकों/प्राध्यापकों को भुगतान किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया–

क्रम. सं	मद	प्रस्तावित दर(विस्तृत विवरण)
1.	केन्द्राध्यक्ष/आब्जर्वर को विश्वविद्यालय में सत्र परीक्षा के पूर्व बैठक में प्रतिभाग करने के लिए यात्रा भत्ता	स्थानीय यात्रा भत्ता रू0 400/– प्रतिदिन तथा वाह्य आगन्तुकों के शहर बदलने की स्थिति में:– 0 से 100 किमी तक रू0 700/– 101 से 150 किमी तक रू0 1000/– 150 से अधिक किमी तक रू0 1500/– (अधिकतम)
2.	प्रायोगिक परीक्षा के लिए यात्रा भत्ता	
3.	स्क्रूटनी (परिनिरीक्षण)	रू0 25/– प्रति कॉपी, रू0 200/– न्यूनतम
4.	चुनौती मूल्यांकन (चैलेंज इवैलूएशन)	स्नातक–रू0 20/–प्रति उत्तरपुस्तिका, रू0 200/– न्यूनतम परास्नातक–रू0 25/– प्रति उत्तरपुस्तिका, रू0 200/– न्यूनतम **मेडिकल पाठ्यकमों हेतु** स्नातक –रू0 50/–प्रति उत्तरपुस्तिका, रू0 800/– न्यूनतम परास्नातक–रू0 75/–प्रति उत्तरपुस्तिका, रू0 1000/– न्यूनतम (वित्त समिति की बैठक दिनांक 25–01–2016 में अनुमोदनोपरान्त तत्समय से प्रभावी)
5.	अनुचित साधन प्रयोग (यू0एफ0एम0) कमेटी के सदस्यों का पारिश्रमिक	रू0 6500/– अधिकतम प्रति सदस्य प्रति वर्ष/सत्र

चूंकि शासन के निर्देशानुसार आगामी समस्त परीक्षाएँ बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र आधारित (**O.M.R. Based**) सम्पादित करायी जानी हैं। पूर्व में बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र केवल स्नातक स्तर पर आंशिक रूप से प्रयुक्त होते थे, जबकि परास्नातक स्तर पर उनका प्रयोग नहीं किया गया था। स्नातक स्तर पर सामान्य प्रश्नपत्र हेतु प्राश्निक को एक प्रश्नपत्र हेतु रू0 800/– तथा परास्नातक स्तर पर प्राश्निक को सामान्य प्रश्नपत्र हेतु रु0 1200/– का भुगतान किया जाता रहा है। इसी प्रकार स्नातक स्तर पर बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र के 100 प्रश्नों हेतु रु0 4000/–(रु0 40/– प्रति प्रश्न) एक भाषा में होने के दशा में तथा द्विभाषीय होने के दशा में 100 प्रश्नों हेतु रु0 5500/–(रु0 55/– प्रति प्रश्न) का भुगतान किया जाता रहा है। चूंकि परास्नातक स्तर पर बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों का समावेश पहली बार किया जा रहा है, अतः सामान्य प्रश्नपत्रों के समानुपातिक परास्नातक स्तर के एक भाषी प्रश्नपत्र हेतु 100 प्रश्नों की दशा में रु0 5000/–(रु0 50/– प्रति प्रश्न) तथा द्विभाषी प्रश्नपत्र की दशा में 100 प्रश्नों हेतु रु0 6500/–(रु0 65/– प्रति प्रश्न) की दर से भुगतान किए जाने की संस्तुति की गयी।

प्रकरण में वित्तीय उपासय निहित होने के कारण वित समिति को संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक

10.6.2024

Scanned with CamScanner

मद सं0–4 मुख्य परीक्षा–2021 से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु कोआर्डिनेटर की नियुक्ति एवं उनके मानदेय/पारिश्रमिक पर विचार। –

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु डाक के माध्यम से प्राश्निकों को डाकेट प्रेषित किया जाता रहा है तथा प्रश्नपत्र निर्माण के उपरान्त प्राश्निकों द्वारा डाक के माध्यम अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रश्नपत्रों को विश्वविद्यालय में प्राप्त कराया जाता रहा है। उक्त प्रक्रिया में प्रश्नपत्र निर्माण में काफी विलम्ब हो जाता था, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को समयान्तर्गत सम्पन्न कराने में अनावश्यक विलम्ब होता था। चूंकि शासन के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा–2021 बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र(MCQ Pattern) पर आधारित है तथा प्रत्येक दशा में 13 अगस्त, 2021 तक सम्पन्न करायी जानी है। चूंकि बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र निर्माण कार्य काफी कठिन और श्रमसाध्य होता है, अतः बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों को समयबद्ध निर्मित कराने हेतु कोआर्डिनेटर की नियुक्ति समीचीन होगी।

तत्क्रम में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से 06 कोआर्डिनेटर्स को नियुक्त किए जाने तथा उन्हें प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु पारिश्रमिक के रूप में 15 कार्यदिवसों के लिए रु0 15000/–(प्रतिदिन रु0 1000/–) अधिकतम का पारिश्रमिक भुगतान किए का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार भविष्य में परीक्षा सम्बन्धी अन्य गोपनीय कार्यों हेतु 15 कार्य दिवसों के लिए रु0 15000/–(प्रतिदिन रु0 1000/–) का पारिश्रमिक भुगतान किए जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही वित्तीय उपासय निहित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त समिति को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–5 **विश्वविद्यालय की सारणीयन पंजिकाओं एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रपत्रों के Digitalization कराये जाने के सम्बन्ध में विचार –**

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 1968 से लेकर वर्ष 2020 तक की सारणीयन पंजिकायें एवं तत्सम्बन्धी अंक प्रतिपर्ण उपलब्ध हैं जिसमें वर्ष 1968 से 2010 तक का डाटा सारणीयन पंजिका पर उपलब्ध है तथा ऑनलाइन नहीं है। वर्ष–2011 से अद्यतन छात्रों का सम्पूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है। वर्तमान में छात्र/छात्राओं के सत्यापन एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु वर्ष–2011 के पूर्व के सभी प्रकरणों का निस्तारण सारणीयन पंजिकाओं के माध्यम से ही किया जाता है जिसमें काफी समय लगता है तथा पुरानी सारणीयन पंजिकाएँ जर्जर होने के कारण डाटा भी असुरक्षित हो रहे हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की सारणीयन पंजिकाओं एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रपत्रों का Digitalization कराये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रकरण में वित्तीय उपासय सन्निहित होने के कारण वित समिति को संदर्भित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग को बन्द करते हुए तत्सम्बन्धी सभी प्रकार के फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/प्रभारी रिकार्ड रूम/प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र

10.6.2021

Scanned with CamScanner

मद सं0–6 महाविद्यालयों/संस्थानों से परीक्षा शुल्क के साथ अन्य समस्त शुल्क यथा–माइग्रेशन शुल्क, उपाधि शुल्क, सत्यापन शुल्क आदि एक साथ लिये जाने पर विचार –

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान प्रचलित व्यवस्थानुसार महाविद्यालय/संस्थानों से परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, क्रीड़ा शुल्क प्रतिवर्ष जमा कराया जाता है। अनेक छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उपाधि हेतु आवेदन किया जाता है साथ ही बहुतायत छात्र/छात्राओं द्वारा माइग्रेशन अथवा सत्यापन हेतु आवेदन किया जाता है जिसका शुल्क छात्र/छात्राओं द्वारा अलग–अलग मदों में जमा कराया जाता है। प्रक्रिया जटिल होने के कारण उक्त प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराये जाने में काफी समय लग जाता है तथा छात्र/छात्राएँ काफी परेशान होते हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि छात्र/छात्राओं से विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए अलग से शुल्क न लेकर समेकित रूप से परीक्षा शुल्क में आंशिक वृद्धि करते हुए भविष्य में उनके द्वारा आवेदित विभिन्न प्रमाण पत्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा। समिति के सभी सदस्यों द्वारा कुलपति जी के उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी एवं एजेण्डा में सम्मिलित प्रस्ताव सं0–16 को इससे आबद्ध करने का सुझाव दिया गया। साथ ही प्रकरण में वित्तीय उपासय सन्निहित होने के कारण वित्त समिति को संदर्भित करने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र

मद सं0–7 **वर्ष–2021 की मुख्य परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में कोरी उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नपत्र भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किए जाने तथा परीक्षा के उपरान्त लिखित उत्तर पुस्तिकाओं/ओ.एम.आर. पत्रक के बण्डलों को डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय मंगाये जाने पर विचार –**

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रचलित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कोरी उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रश्नपत्रों को वाहन उपलब्ध कराने वाली अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से प्रेषण एवं वापस लाने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जिससे अनेकों बार उत्तर पुस्तिकायें समय से महाविद्यालयों/नोडल केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं करायी जाती हैं, जिससे समयान्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य सम्भव नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप परीक्षाफल घोषित होने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

तदनुक्रम में उक्त व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रश्नपत्रों के प्रेषण एवं वापस प्राप्त कराये जाने का कार्य भारतीय डाक के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष–2021 की मुख्य परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में कोरी उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नपत्रों को भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किए जाने तथा परीक्षा के उपरान्त लिखित उत्तर पुस्तिकाओं/

Scanned with CamScanner

ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के बण्डलों को डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय मंगाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही प्रकरण में वित्तीय उपासय सन्निहित होने के कारण वित समिति को संदर्भित करने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–8 **भारतीय डाक के माध्यम से उपाधियों को प्रेषित किए जाने पर विचार**

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रचलित व्यवस्थानुसार उपाधि हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि पर विश्वविद्यालय में आकर उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है जिससे छात्र/छात्राओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोविड–19 महामारी के कारण अनेक छात्र/छात्राएँ निर्धारित समय पर अपनी उपाधि भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिससे प्रायः काफी संख्या में छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय में प्रतिदिन उपाधि प्राप्त करने हेतु एकत्रित होते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में छात्रहित में परीक्षा समिति द्वारा भविष्य में ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को उपाधियॉ उनके निवास के पते पर भारतीय डाक के माध्यम से(उपाधि शुल्क रु0 800/– के साथ डाक व्यय रु0 200/– अतिरिक्त = कुल रु0 1000/–) लेते हुए प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही प्रकरण वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने किए जाने की अनुशंसा भी की गयी।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/सहा0 कुलसचिव(उपाधि)

मद सं0–9 **विभिन्न परीक्षा कार्यों यथा–प्रश्नपत्र निर्माण एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों के सहयोगार्थ सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियत वेतन/पारिश्रमिक पर नियोजित किये जाने पर विचार–**

निर्णय – वर्तमान प्रचलित व्यवस्थानुसार विभिन्न परीक्षा कार्य यथा–प्रश्नपत्र निर्माण एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य, शिक्षकों के कार्यस्थल पर भेजकर सम्पादित कराये जाते हैं, जिसमें अनावश्यक विलम्ब होता है।

उपरोक्त के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा कार्यों यथा–प्रश्नपत्र निर्माण एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों के सहयोगार्थ सेवानिवृत्त शिक्षकों को पारिश्रमिक रु0 1000/– प्रतिदिन(अधिकतम 30 दिनों हेतु) पर नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रकरण में वित्तीय उपासय सन्निहित है, अतः वित समिति को संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक

10.6.2024

Scanned with CamScanner

मद सं0–10 विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2020 में सामूहिक नकल में दोषसिद्ध पाये गये 05 परीक्षा केन्द्रों एवं उनसे सम्बद्ध 14 महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं की पुर्नपरीक्षा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत न सम्पन्न हो पाने के कारण विशेष परिस्थिति में दोषसिद्ध परीक्षा केन्द्रों पर रु0 1.00 लाख का आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम सम्बन्धित विषय/प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान करते हुए घोषित किए जाने के मा0 कुलपति महोदय के निर्णय से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष–2020 की परीक्षा में उड़नदस्ते द्वारा प्रेषित की गयी आख्या के अनुक्रम में अनुचित साधन प्रयोग समिति द्वारा 05 परीक्षा केन्द्रों को सामूहिक नकल में दोष सिद्ध पाया गया था। तद्क्रम में परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों को एक वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं की सम्बन्धित विषय/प्रश्नपत्र की पुनर्परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त छात्र/छात्राओं की पुनर्परीक्षा कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर रु0 एक लाख का आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए सम्बन्धित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को छात्रहित में सम्बन्धित विषय/प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश मा0 कुलपति जी द्वारा प्रदान किये गये हैं, जिस पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है। मा0 कुलपति महोदय के उक्त निर्णय/आदेश से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र

मद सं0–11 विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2020 के अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों की बैक पेपर परीक्षा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत सम्पन्न न हो पाने के कारण सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम नियमानुसार औसत अंक प्रदान करते हुए घोषित किए जाने के मा0 कुलपति महोदय के निर्णय से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष–2020 में शासन के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में केवल अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण परीक्षाएँ करायी गयी थीं। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त अनेक छात्रों ने बैक पेपर हेतु आवेदन किया था, जिससे सम्बन्धित परीक्षा फार्म भी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से पूरित करा लिए गये हैं, परन्तु वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण एवं वर्ष–2021 की मुख्य परीक्षाओं के आसन्न सन्निकट के दृष्टिगत उक्त छात्रों की बैक पेपर परीक्षाएँ सम्पन्न कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2020 के अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों की बैक पेपर परीक्षा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत सम्पन्न न हो पाने के कारण मा0 कुलपति जी द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैक पेपर परीक्षा हेतु आवेदित प्रश्नपत्र में औसत अंक का निर्धारण, उस कक्षा में परीक्षार्थी को अन्य

10.6.21

Scanned with CamScanner

विषयों/प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों में अधिकतम प्राप्त दो प्रश्नपत्रों के अंकों के औसत अंक के आधार पर अंक प्रदान करते हुए तद्नुसार परीक्षाफल घोषित किए जाने के आदेश प्रदान किए गये हैं। मा0 कुलपति जी के उक्त निर्णय/आदेश से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र

मद सं0–12 बृहस्पति महिला महाविद्यालय, कानुपर के एम0ए0(शिक्षाशास्त्र) विषय के सत्र 2014–15 के 16 छात्र/छात्राओं के लघु शोध प्रबन्ध(Dissertation) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि प्राचार्या, बृहस्पति महिला महाविद्यालय, कानपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.03.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि महाविद्यालय के 16 छात्र/छात्राओं का एम0ए0(द्वितीय वर्ष), सत्र 2014–15 से सम्बन्धित शिक्षाशास्त्र विषय का लघुशोध प्रबन्ध अभी तक विश्वविद्यालय में जमा नहीं हो पाया है क्योंकि उनके महाविद्यालय के कर्मचारी श्री प्रवीन गुप्ता द्वारा धोखाधड़ी करते हुए सम्बन्धित छात्र छात्राओं के लघुशोध प्रबन्ध एवं शुल्क की धनराशि विश्वविद्यालय में जमा नहीं की गयी। छात्रों की शिकायत पर महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित शिक्षक के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गयी है।

तत्कम में सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्रहित में महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं का लघुशोध प्रबन्ध(Dissertation) निर्धारित शुल्क सहित अविलम्ब विश्वविद्यालय में जमा कराया जाय तथा तद्नुसार उनका मूल्यांकन कराते हुए छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम शीघ्रातिशीघ्र घोषित किया जाय। साथ ही साथ परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उल्लिखित छात्र/छात्राओं का लघु शोध प्रबन्ध विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण महाविद्यालय पर रु0 1.00 लाख का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव(गोपनीय)

मद सं0–13 विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न करायी जाने वाली विभिन्न मेडिकल परीक्षाओं के सम्पादन हेतु मानदेय की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में परिसर स्थित केन्द्राध्यक्षों द्वारा प्रेषित किए गये प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में विभिन्न मेडिकल परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं संख्या कम होने तथा नकलविहीन परीक्षाऐं सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से कतिपय परीक्षाओं को विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न कराया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय के कई विभागों, विशेषतः हेल्थ साइंस विभाग एवं पुराना मूल्यांकन भवन में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जाते हैं एवं तद्नुसार केन्द्राध्यक्ष एवं अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों को परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त परीक्षाऐं सम्पन्न कराने वाले केन्द्राध्यक्षों द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेडिकल परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क सामान्य पाठ्यकमों से अधिक लिया जाता है। अतः वर्तमान पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि किया जाना उचित होगा।

10.6.2021

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि केन्द्र व्यय की दरें शासनादेश के अनुसार निर्धारित हैं, अतः शासनादेश के अनुरूप ही केन्द्र व्यय का भुगतान किया जाय तथा प्रस्ताव को बलहीन मानते हुए विचार योग्य नहीं पाया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–14 श्रीमती सुभागी देवी, कानपुर द्वारा आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर श्री अशोक कुमार गौतम के विरूद्ध तथ्यों को छुपाकर एल.एल.बी. किए जाने पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों को निरस्त किए जाने सम्बन्धी शिकायत तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की आख्या के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि जनसुनवाई शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत श्रीमती सुभागी देवी द्वारा दर्ज शिकायत संख्या 40016420013492 द्वारा शिकायत की गयी है कि श्री अशोक कुमार गौतम पुत्र श्री सूरजभान, कानपुर ने अपनी आपराधिक गतिविधियों तथा अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों की जानकारी न देकर दयानन्द कालेज आफ लॉ में एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में वर्ष 2013–14 में प्रवेश लिया था और इनके विरूद्ध अनेकों एफ.आई.आर. दर्ज है। अतः श्री गौतम की विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अंकतालिका एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जाना उचित होगा। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, प्रवेश आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तत्सम्बन्धी प्राचार्य की आख्या भी परीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गयी।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की विस्तृत जॉच हेतु समिति के सदस्य प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर को नामित किया जाता है तथा प्रो0 अवस्थी से अनुरोध है कि एक सप्ताह में अपनी जॉच आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे तद्नुक्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक/प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी

मद सं0–15 बी0ए0 वर्ष–1997 रोल नं0–316292 की छात्रा विनीता बी0 सिंह द्वारा जनरल इंगलिश विषय में उत्तीर्ण न होने के बावजूद बी0ए0 की उत्तीर्ण अंकतालिका निर्गत हो जाने पर छात्रा के उपाधि निर्गत किए जाने सम्बन्धी आवेदन पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि बी0ए0 वर्ष–1997 रोल नं0–316292 की छात्रा विनीता बी0 सिंह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है परन्तु तीनों वर्षों में जनरल इंग्लिश की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तथा छात्रा द्वारा उत्तीर्ण अंकतालिका के आधार पर एम0ए0 एवं बी0एड0 की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली गयी। छात्रा द्वारा उपाधि के लिए आवेदन किए जाने पर जनरल इंग्लिश में उत्तीर्ण न होने के कारण सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी0ए0(संस्थागत) वर्ष–1997 रोल नं0–316292 की छात्रा विनीता बी0 सिंह की जनरल इंगलिश की परीक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित कर तदनुसार संदर्भित छात्रा का

LD
10.6.2021

Scanned with CamScanner

परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय तथा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दशा में एक सप्ताह में छात्रा के अंकों की प्रविष्टि सारणीयन पंजिकाओं में करते हुए उसकी बी0ए0 की अंकतालिकाओं का सत्यापन करते हुए उपाधि प्रदान की जाय। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा बिना जनरल इंगलिश उत्तीर्ण किए उक्त छात्रा को अंकतालिका निर्गत करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–16 नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सत्र 2021–22 से महाविद्यालयों/संस्थानों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क में वृद्धि पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में विभिन्न बदलाव किए गये हैं तथा सत्र 2021–22 से लगभग सभी पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर पद्धति के अनुसार संचालित किया जाना है। अतः पूर्व में संचालित वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु लागू परीक्षा शुल्क को सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में लिया जाना समीचीन नहीं होगा। साथ ही अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क के साथ अन्य समस्त शुल्क यथा–उपाधि, माइग्रेशन आदि भी समेकित रूप से लिया जाना है(प्रस्ताव सं0–06 के अनुक्रम में)।

तदनुक्रम में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सत्र 2021–22 से परीक्षा शुल्क में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया –

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में वर्तमान में प्रभावी परीक्षा शुल्क एवं प्रस्तावित परीक्षा शुल्क

क्र.	कक्षा	संकाय/ पाठ्यक्रम	वर्तमान परीक्षा शुल्क	नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत दिनांक–01 जुलाई, 2021 से प्रस्तावित परीक्षा शुल्क
1.	स्नातक	कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि	रू0 685/– प्रायो./मौखिक रू0 100/– अतिरिक्त	रू0 1000/– प्रति सेमेस्टर रू0 2500/– अंतिम सेमेस्टर प्रायो./मौखिक रू0 200/– अतिरिक्त
2.	परास्नातक	कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि	रू0 835/– प्रायो./मौखिक रू0 100/– अतिरिक्त	रू0 1500/– प्रति सेमेस्टर रू0 3000/– अंतिम सेमेस्टर हेतु प्रायो./मौखिक रू0 250/– अतिरिक्त
3.	बी0एड0	—	रू0 1300/–	रू0 1500/–
4.	एम0एड0	—	रू0 1700/–	रू0 2000/–
5.	एलएल0बी0 एवं बी0ए0एलएल0बी	—	रू0 1020/–	रू0 1500/– प्रति सेमेस्टर मौखिकी रू0 200/– रू0 3000/– अंतिम सेमेस्टर हेतु
6.	एम0एससी0	समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम (गणित, भौतिकी, रसायन, जन्तु व वनस्पति विज्ञान को छोड़कर)	रू0 1500/– प्रति सेमेस्टर	रू0 1500/– प्रति सेमेस्टर रू0 3000/– अंतिम सेमेस्टर हेतु
	व्यावसायिक पाठ्यक्रम			
7.	बी0एससी0 नर्सिंग	नर्सिंग/पोस्ट बेसिक नर्सिंग	रू0 1000/–	रू0 1500/– रू0 3000/– अंतिम वर्ष
8.	बी0एससी0 नर्सिंग	चार वर्षीय पाठ्यक्रम	रू0 3000/–	रू0 4500/– रू0 6000/– अंतिम वर्ष

10.2.24

Scanned with CamScanner

9.	एम0बी0बी0एस0	—	रू0 7500/–	रू0 9000/– रू0 15000/– अंतिम वर्ष
10.	बी0ए0एम0एस0/ बी0यू0एम0एस	—	रू0 7500/–	रू0 9000/– रू0 15000/– अंतिम वर्ष
11.	बी0डी0एस0	—	रू0 7500/–	रू0 9000/– रू0 15000/– अंतिम वर्ष
12.	एस0सी0एच0/ पी0जी0 डिप्लोमा (मेडिकल)	—	रू0 10,000/–	रू0 15000/–
13.	एम0डी0/ एम0एस0	—	रू0 11,500/–	रू0 15000/–
14.	डी0एम0	—	रू0 15,000/–	रू0 20000/–
15.	विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम(बी.एस.सी. (कृषि) को छोड़कर)	—	रू0 1500/–	रू0 1500/– प्रति सेमेस्टर रू0 3000/– अंतिम सेमेस्टर हेतु
16.	विश्वविद्यालय परिसर के वार्षिक पाठ्यक्रम	—	रू0 3000/–	रू0 3000/– अंतिम सेमेस्टर हेतु रू0 4500/– अंतिम वर्ष हेतु
17.	व्यक्तिगत परीक्षा	स्नातक	रू0 1200/–	रू0 3000/–
18.	व्यक्तिगत परीक्षा	परास्नातक	रू0 1500/–	रू0 5000/–
19.	बैकपेपर	—	रू0 500/– प्रति पेपर	रू0 750/– प्रति पेपर
20.	नामांकन शुल्क		रू0 100/–	रू0 200/–
21.	पी–एच0डी0 हेतु निर्धारित शुल्क			
	आवेदन शुल्क(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग)		रू0 1500/–	रू0 2500/–
	आवेदन शुल्क (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग)		रू0 1000/–	रू0 1500/–
	पी–एच0डी0 कोर्स वर्क शुल्क(सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग)		रू0 25000/–	रू0 35000/–(प्रति वर्ष)
	पी–एच0डी0 कोर्स वर्क शुल्क(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग)		रू0 12500/–	रू0 25000/–(प्रति वर्ष)

साथ ही विभिन्न राजकीय विभागों/संस्थाओं से अथवा सम्बन्धित छात्र/छात्रा अथवा प्राइवेट संस्थाओं/कम्पनियों से अंकपत्र/उपाधि सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सत्यापन शुल्क के सम्बन्ध में गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया –

1– राजकीय विभागों/संस्थाओं से – कोई शुल्क नहीं

2– प्राईवेट संस्थाओं/कम्पनियों अथवा छात्र/छात्रा से – रू0 1000/–(प्रति छात्र)

चूंकि प्रकरण वित्तीय उपासय से सम्बन्धित है, अतः वित्त समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु सम्प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–17 प्री–पी.एचडी. कोर्स वर्क, वर्ष 2019 के छात्रों की परीक्षाएँ विभिन्न कारणों से सम्पन्न न होने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णय से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क, वर्ष–2019 के अनेक छात्रों की परीक्षाएँ कम उपस्थिति के कारण अथवा आन्तरिक मूल्यांकन अथवा End सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार निर्णय लिया गया है जिसकी सूचना विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 18–05–2021 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

10.6.2021

Scanned with CamScanner

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यादेश के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। उक्त परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 03 माह का समय देकर पुर्नपरीक्षा करा ली जाय। प्री पी.एचडी. कोर्स वर्क न करने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को उनका शुल्क वापस कर दिया जाय।

कार्यवाही–कुलसचिव/वित्त अधिकारी

मद सं0–18 परास्नातक(कला) पूर्वार्द्ध के वर्ष–2020 के परीक्षार्थियों की परीक्षा शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में न कराये जाने के कारण द्वितीय वर्ष में Dissertation का विषय परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष(कला संकाय) के पत्र के आलोक में मा0 कुलपति महोदय द्वारा लिए गये निर्णय से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि अवगत कराना है कि डा0 गायत्री सिंह, प्राचार्या, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर एवं डीन–कला संकाय द्वारा अपने पत्र दिनांक 24–02–2021 द्वारा अवगत कराया गया कि एम0ए0 द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबन्ध(Dissertation) वैकल्पिक प्रश्नपत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसके लिए एम0ए0 प्रथम वर्ष में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण एम0ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं करायी जा सकीं तथा छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया एवं उनके प्रथम वर्ष के अंकों का निर्धारण इस वर्ष–2021 में एम0ए0 द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पूर्व निर्णयानुसार एम.ए. द्वितीय वर्ष–2021 की परीक्षा में छात्र द्वारा वैकल्पिक प्रश्नपत्र के स्थान पर सैद्वान्तिक प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा तथा एम0ए0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा सम्पन्न होने पर प्राप्त अंकों के आधार पर तद्नुसार प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम पूर्ण किए जाने के उपरान्त यदि छात्र/छात्रा को एम0ए0 प्रथम वर्ष में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा द्वितीय वर्ष हेतु लघुशोध प्रबन्ध(Dissertation) के चयन की जिज्ञासा प्रकट की जाती है तो द्वितीय वर्ष के अनिवार्य प्रश्नपत्रों को छोड़कर अन्य सैद्वान्तिक प्रश्नपत्र को हटाते हुए एक निर्धारित समयावधि में उनके लघुशोध प्रबन्ध (Dissertation) सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को पूर्ण कराते हुए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम तद्नुसार घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण एम0ए0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में छात्र/छात्राओं को लघुशोध प्रबन्ध (Dissertation) तैयार कराया जाना एवं उनका मूल्यांकन कराने में काफी समय लग सकता है तथा परीक्षा परिणाम तैयार कराने में भी विलम्ब होगा। अतः सत्र 2020–21 के लिए छात्र/छात्राओं को लघुशोध प्रबन्ध (Dissertation) का विषय चयन न कराते हुए सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों को चयनित कराते हुए तद्नुसार एम0ए0–द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 सी.एस.जे.एम.वि./सी.ओ.ई./1164/2021 दिनांक 28/05/2021 को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित प्रकिया से सभी महाविद्यालय एवं सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को अवगत कराया जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक/सिस्टम मैनेजर

10.6.2024

Scanned with CamScanner

मद सं0–19 याचिका सं0 1946/2020 की याची बिन्जू कुमारी द्वारा विश्वविद्यालय से वर्ष 2007 में अंकतालिका प्राप्त होने के उपरान्त उपाधि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में योजित की गयी याचिका का निस्तारण किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि याची बिन्जू कुमारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में इस आशय से याचिका योजित की गयी है कि छात्रा ने बी0ए0 की परीक्षा वर्ष–2007 में अनुकमांक 303361 से उत्तीर्ण की थी तथा उसकी अंकतालिकाएँ भी छात्रा को प्राप्त हो गयी थी। छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय में उपाधि हेतु आवेदन किए जाने पर अतिगोपनीय विभाग की सारणीयन पंजिका में छात्रा अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्नपत्र में अनुपस्थित अंकित है तथा छात्रा 363/900 अंक के साथ तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है तथा छात्रा को जो अंकतालिका प्राप्त हुयी है उसमें उक्त प्रश्नपत्र में 30/50 अंक प्राप्त हैं तथा परीक्षाफल 393/900 अंकों के साथ तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। विश्वविद्यालय में उपलब्ध प्रतिपर्ण में छात्रा का रोल नं0 अंकित नहीं है। अंकतालिका निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार 393/900 अंकों सहित छात्रा का परीक्षाफल तृतीय श्रेणी में अंकित है परन्तु तत्समय के अभिलेख आदेशानुसार विनष्ट किए जा चुके हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त याची बिन्जू कुमारी के प्रकरण का निस्तारण किए जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एसजे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर को जॉच हेतु नामित किया गया तथा एक सप्ताह में अपनी जॉच आख्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक/प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी

मद सं0–20 परीक्षाफल प्रकाशन के 06 माह बीत जाने के उपरान्त लिखित उत्तर पुस्तिकाएँ विनष्ट किए जाने के सम्बन्ध में विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को 06 माह में विनष्ट किए जाने का उल्लेख है। तद्क्रम में सूचित करना है कि परीक्षाफल प्रकाशन के 06 माह के उपरान्त भी अनेक प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएँ अभी विश्वविद्यालय में रखी हुयी हैं तथा पूर्व से संरक्षित सी0पी0एम0टी0 की उत्तर पुस्तिकाएँ भी अभी तक रखी हुयी हैं, जिनके विनष्टीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।

तद्नुक्रम में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षाफल प्रकाशन के बाद 06 माह बीत जाने के बाद सभी लिखित उत्तर पुस्तिकाओं (मा0 न्यायालय में विचाराधीन एवं आर.टी.आई./आई.जी.आर.एस. से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कराने के बाद) को विनष्ट किए जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय। सी.पी.एम.टी. के गोपनीय दस्तावेजों के सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखकर विनष्टीकरण के लिए सूचित किया जाय। परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय में कटिंग कराने के उपरान्त ही यथा निर्धारित सम्बन्धित फर्म को बिक्री हेतु सौंपी जाय तथा उत्तर पुस्तिकाओं के नाप–तौल हेतु पूर्व गठित समिति को भंग करते हुए प्रो0 नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में नई समिति का गठन मा0 कुलपति महोदय से यथाशीघ्र करा लिया जाय।

कार्यवाही–सहायक कुलसचिव(स्टोर)

10.6.2021

Scanned with CamScanner

मद सं0–21 विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षाओं को नकलविहीन एवं सुचितापूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने हेतु Full Time Observer अथवा सचल दल का गठन किए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया कि गत वर्षों में विश्वविद्यालयी परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सचल दलों को गठन करते हुए परीक्षा केन्द्रो पर भेजा जाता रहा है। अतः मुख्य परीक्षा–2021 हेतु एवं आगामी अन्य लिखित परीक्षाओं के सम्बन्ध में Full Time Observer अथवा सचल दल का गठन किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, मुख्य परीक्षा–2021 हेतु एवं आगामी अन्य लिखित परीक्षाओं हेतु Full Time Observer अथवा सचल दल गठन के सम्बन्ध में प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर के संयोजकत्व में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त समिति पूरी परीक्षाओं का समग्र पर्यवेक्षण करेगी तथा परीक्षाओं को नकलविहीन कराने हेतु मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार तत्काल Full Time Observer अथवा सचल दल का गठन करवाते हुए सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों पर भेजना सुनिश्चित करेगी।

कार्यवाही– परीक्षा नियंत्रक

मद सं0–22 उच्च शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र 2020–21 में छात्र–छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 09 जून, 2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुकम में आगामी परीक्षाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने पर विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र 2020–21 में छात्र–छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 09 जून, 2021 द्वारा परीक्षा/प्रोन्नत सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं एवं दिनांक 18 जून, 2021 तक परीक्षाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने एवं परीक्षा कार्यकम के साथ विश्वविद्यालय की कार्ययोजना को प्रेषित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये हैं।

उक्त पत्र एवं दिशा–निर्देश पर परीक्षा समिति द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2021 एवं अन्य परीक्षाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यकमों के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा अवशेष परीक्षाओं वर्षों की परीक्षाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गये परीक्षा कार्यकमानुसार दिनांक 16 जुलाई, 2021 से सम्पन्न करायी जॉय।

कार्यवाही– परीक्षा नियंत्रक

10.6.2024

Scanned with CamScanner

मद सं0–23 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

(i) वर्ष–2021 की मुख्य परीक्षा में शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा न कराये जाने पर छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने अंकों के निर्धारण पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन(उच्च शिक्षा अनुभाग–3) के पत्र सं0– 1200/सत्तर–3–2021–08(20)/2020, दिनांक–08 जून, 2021 एवं तद्कम में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्रांक–236/रा0उ0शि0प0/53/19, दिनांक 09 जून, 2021 के अनुसार कोविड–19 महामारी के कारण इस वर्ष प्रायोगिक परीक्षाओं को सम्पन्न नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। तद्कम में प्रायोगिक परीक्षाओं के अंको को प्रदान किए जाने की प्रकिया का निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र 2020–21 की विभिन्न परीक्षाओं(मेडिकल परीक्षाओं को छोड़कर) के प्रायोगिक विषयों में छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण **सैद्धान्तिक विषयों में प्राप्त कुल अंकों के योग प्रतिशत के समानुपातिक प्रायोगिक परीक्षा में 150 प्रतिशत** अथवा अधिकतम–**प्रायोगिक पूर्णांक का 80 प्रतिशत** तथा न्यूनतम–**उत्तीर्णांक** प्रदान किये जायेंगे।

कार्यवाही– परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र

(ii) विधि स्नातक पाठ्यकम तथा बी0एस0सी0(कृषि) के अनेकों परीक्षार्थियों द्वारा अध्यादेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा पूर्ण करने के उपरान्त इस आशय के प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गये हैं कि उनके पूर्व सेमेस्टरों में कतिपय प्रश्नपत्रों में बैक पेपर परीक्षा Clear न हो पाने के कारण उनका भविष्य अन्धकारमय हो रहा है और उनके द्वारा विशेष बैक पेपर परीक्षा हेतु अनुमति की मॉग की गयी है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं को स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित कराने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यकमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यकमों में भी अनेकों छात्रों द्वारा इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त कराये जा रहे हैं जो कि अध्यादेश के अनुसार निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपना पाठ्यकम पूर्ण नहीं कर पाये हैं और उनके द्वारा एक अन्तिम अवसर की मॉग की गयी है।

तत्कम में परीक्षा समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि छात्रहित में वर्ष–2012 के बाद के ऐसे छात्रों को अन्तिम अवसर के रूप में रू0 5000/– प्रति प्रश्नपत्र शुल्क जमा कराते हुए परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय। यह भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

कार्यवाही– परीक्षा नियंत्रक

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

10.6.2021

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

प्रो०(विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with CamScanner